

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
॥ आदेश ॥


पटना-15, दिनांक- 30/04/2026

संख्या-14/निजी-1213/2025-सा0प्र0-7587

/बिहार सेवा संहिता में

उल्लिखित भारत सरकार, डी0पी0 एण्ड टी0, संकल्प संख्या-19016/1/87-स्था0 (ए0), दिनांक-12.03.1987 में वर्णित प्रावधान के आलोक में श्री हरेन्द्र राम, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-359/26, महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेन्ट) बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उनके वर्तमान नाम "हरेन्द्र राम" के स्थान पर "हरेन्द्र कुमार" के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।


2. सभी संबंधित को एतद द्वारा निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त आदेश के आलोक में संबंधित पदाधिकारी के सेवाभिलेख एवं वैयक्तिक अभिलेखों में तदनुसार प्रविष्टि दर्ज कर लिया जाय।

  
(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-14/निजी-1213/2025-7587/सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 30/04/2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/श्री हरेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-359/26, महाप्रबंधक (प्रोक्योरमेन्ट) बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 12 एवं 29 (चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
सरकार के उप सचिव